झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. **2022/2022**

1. अमर नाथ गोस्वामी, आयु- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बद्री नाथ गोस्वामी
2. किरण देवी, आयु- लगभग 53 वर्ष, पति- अमर नाथ गोस्वामी
3. धनंजय कुमार गोस्वामी, आयु- लगभग 34 वर्ष, पिता-अमर नाथ गोस्वामी
4. अन्जय गोस्वामी, आयु- लगभग 32 वर्ष, पिता- अमर नाथ गोस्वामी

   संख्या 1 से 4 तक के याचिकाकर्ता गाँव- भारावपुर, डाकघर और थाना- लाहेरी, जिला- नालंदा (बिहार) के निवासी हैं।
5. अजय गोस्वामी, आयु- लगभग 41 वर्ष, पिता- अमर नाथ गोस्वामी
6. नमृता गोस्वामी, आयु- लगभग 41 वर्ष, पति- अजॉय गोस्वामी

   याचिकाकर्ता नं. 5 और 6 फ्लैट सं.सी17ए, एफ. एफ., आर्डेक सिटी, गुडगांव, डाकघर और थाना- गुडगांव, जिला- गुडगांव(हरियाणा) के निवासी हैं।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अर्चना गोस्वामी, पति- विजय गोस्वामी, गाँव- जोगीपट्टी (गोस्वामी पट्टी) डाकघर और थाना- झरिया, जिला- धनबाद

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएःश्री अभय के. चतुर्वेदी, अधिवक्ता

श्री चंदन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्रीप्रभु डी. अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष 2 के लिएःश्री सूरज सिंह, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत सी. पी. मामला संख्या 1828/2017में धनबाद के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 29.06 2019 के आदेश को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना के साथदायर की गई है। जिसके द्वारा और जहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है और शिकायत मामला संख्या 1828/2017 की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए भी लिया गया है जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ससुर होने के नाते, याचिकाकर्ता संख्या 2 सास होने के नाते, याचिकाकर्ता संख्या 3 से 5 बहनोई होने के नाते और याचिकाकर्ता संख्या 6 गोतनी होने के नाते, शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है और रुपये 5,00,000/- की दहेज की मांग की है और यह कहकर उसे ताना मारा है कि शिकायतकर्ता के पति के लिए बेहतर पत्नी की व्यवस्था की जा सकती थी। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद ने अभिलेख में उपलब्ध सामग्री यानी शिकायत, गंभीर पुष्टि पर बयान और जांच गवाहों के बयान के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री पाईऔर यह भी पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनाया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील **(2022) 6** एस. सी. सी. **599** में रिपोर्ट किए गए कहकशान कौसर **@**सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं, तो ऐसा मामला अभियोजन की गारंटी नहीं देता है।
5. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील आगे प्रीति गुप्ता और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य**(2010) 7** एस. सी. सी. **667**मामले के पैराग्राफ 35 में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, जिसमें से निम्नलिखित हैः

"35. न्याय का अंतिम उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और दोषियों को दंडित करना और निर्दोष लोगों की रक्षा करना है। इनमें से अधिकांश शिकायतों में सच्चाई का पता लगाना एक कठिन कार्य है। पति और उसके सभी निकट संबंधों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। कभी-कभी, आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद भी, वास्तविक सच्चाई का पता लगाना मुश्किल होता है।अदालतों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पति के करीबी रिश्तेदारों के उत्पीड़न के आरोपों कास्वरुपपूरी तरह से अलग होगा, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस स्थान पर नहीं गए या शायद ही कभी गए जहां शिकायतकर्ता रहता था।शिकायतकर्ता के आरोपों की बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए।

और प्रस्तुत करता है कि पीड़ितों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के प्रावधान का दुरुपयोग करके अपराधों में पति के रिश्तेदारों को गलत तरीके से फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

6. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील मैमुन निशा और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य के मामले आपराधिक विविध याचिका सं. 2293/2022दिनांक 23.11.2023में पारित इस अदालत के फैसले पर भरोसाकरता हैजिसमें इस न्यायालय ने कहकशान कौसर उर्फ सोनम और ओथर्स बनाम बिहार राज्य और अन्य (उपरोक्त) के निर्णय के साथ-साथ गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ने (2012) 10 एस. सी. सी. 741 में रिपोर्ट किया, के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें से पैराग्राफ 18 और 25 इसप्रकारहै:

"18. रमेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप्स [(2005) 3 एस. सी. सी. 507:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 735] को यह मानते हुए खुशी हुई थी कि शिकायतकर्ता द्वारा साली के खिलाफ लगाए गए गंजे आरोप सूचना देने वाले की चिंता का संकेत देते हैं कि वह अधिक से अधिक पति के रिश्तेदारों को शामिल कर सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न तो प्राथमिकी और न ही आरोप पत्र मजिस्ट्रेट को अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।विद्वान न्यायाधीशों को यह मानते हुए खुशी हुई कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और आरोप पत्र की सामग्री को

देखते हुए, शिकायतकर्ता के पति की विवाहित बहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 406 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई भी कथित अपराध नहीं किया गया था, जो निर्विवाद रूप से शिकायतकर्ता के पति के परिवार के साथ नहीं रह रही थी।सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों को यह मानते हुए खुशी हुई कि उच्च न्यायालय को साली को मुकदमे की अग्निपरीक्षा में नहीं डालना चाहिए था। तदनुसार, अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और अपील को स्वीकार कर लिया गया।25. हालाँकि, हम सावधानी के रूप में यह जोड़ना उचित समझते हैं कि हमें गलत नहीं समझा जा सकता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि भले ही किसी दिए गए मामले में एफ. आई. आर. में नामित परिवार के सदस्यों की संलिसता का संकेत देने वाले स्पष्ट कार्य के आरोप हों, संज्ञान अनुचित होगालेकिन हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं, वह यह है कि यदि प्राथमिकी, जैसा कि यह है, अभियुक्त के खिलाफ विशिष्ट आरोप का खुलासा नहीं करती है, तो वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामले में सह-अभियुक्त विशेष सहयोगी के खिलाफ, यह स्पष्ट रूप से कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा कि प्राथमिकी में नामित अभियुक्त को यांत्रिक रूप से मुकदमे से गुजरने के लिए भेजा जाए, जब तक कि निश्चित रूप से प्राथमिकी विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं करती हैजो अदालत को मुख्य आरोपी के रिश्तेदारों के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए राजी करेगा, जो प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता पत्नी की शारीरिक और मानसिक यातना में शामिल नहीं पाए गए हैं।यह उल्लेख करने के लिए कई मामलों में निर्धारित सिद्धांत है कि यदि प्राथमिकी में किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं किया गया है, तो अदालत को कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने वाली कार्यवाही को रद्द करने में उचित माना जाएगा।इसके साथ-साथ, अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे रद्द करने के मामलों में एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएँ, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों के मामलों में, चाहे एफ. आई. आर. वास्तव में मुख्य आरोपी के रिश्तेदारों द्वारा अपराध करने का खुलासा करती है या एफ. आई. आर. प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के कहने पर आरोपी के पूरे परिवार को शामिल करके अतिशोषण के मामले का खुलासा करती है, जो अपने नए वैवाहिक परिवेश में बसने के दौरान घरेलू कलह की शुरुआती समस्या या झड़प से उत्पन्न होने वाले अपने मामलों को निपटाने के लिए निकलती है।"

और प्रस्तुत करता है कि उस मामले के तथ्यों में, उस मामले के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का अभाव था, इस न्यायालय ने उस मामले के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया,इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. पी. मामले सं.1828/2017में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित आदेश और शिकायत मामले सं.1828/2017की पूरी आपराधिक कार्यवाही भी,जो धनबाद के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है, उसे रद्द कर दिया जाए और ख़ारिज कर दिया जाए।

7. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक और दूसरी ओर विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने सी. पी. मामले 1828/2017 में धनबाद के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दिनांकित 29.06.2019 आदेश को रद्द करने और ख़ारिज करने की प्रार्थना का विरोध कियाऔर कहाकि शिकायत में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए कई आरोप लगाए गए हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिकाबिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

8. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बिल्कुल कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सामान्य और सर्वव्यापी हैं कि उन्होंने दहेज की मांग की और उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता पर किस तरीके, किस तारीख और किस स्थान पर कोई क्रूरता की गई, यह निर्दिष्ट किए बिना शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया; और न ही इस बारे में कोई आरोप है कि शिकायतकर्ता से किसने, कब और कहाँ 50,000/- रुपये की कथित मांग की।

9. इसलिए, कहकशान कौसर @सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (ऊपर) और गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (ऊपर) के मामलों में सुलझे गए कानून के सिद्धांत को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी विशिष्ट आरोप के अभाव में,उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगाऔर यह एक उपयुक्त मामला है जहां सी. पी. मामला संख्या 1828/2017में धनबाद के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और शिकायत 1828/2017की पूरी आपराधिक कार्यवाही भीजो याचिकाकर्ताओं द्वारा किये गए अनुरोध के अनुसार विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है, रद्द कर दिया जाए और खारिजकर दिया जाए।

10. तदनुसार, सी. पी. केस सं..1828/2017 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांकित 29.06.2019 आदेश और शिकायत मामले सं.1828/2017की पूरी आपराधिक कार्यवाही जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है,को रद्द कर दिया जाता है और केवल ऊपर नामित याचिकाकर्ताओं को ही खारिज कर दिया जाता है।

11. परिणामस्वरुप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

29 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|